



THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED:  
PANCHANAN, 3 rd FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL  
PHONE - 0755-2556857, 2761392 FAX 0755-2557305 EMAIL mpagrohbpl@gmail.com

क्रमांक / मुख्या / प्लास्टिक आयटम / 2019-20 / 4828 दिनांक 12.12.2019

"प्रसारण क्रमांक 01" 16

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय- निगम के माध्यम से वर्ष 2019-20 एवं आगे की अवधि के लिये **WHEEL WATER DRUM (CYLENDRICAL TYPE) (NON ISI MARK)** की अनुमोदित क्रय एवं विक्रय दर।

निगम के माध्यम से वर्ष 2019-20 एवं आगे की के लिये **WHEEL WATER DRUM (CYLENDRICAL TYPE) (NON ISI MARK)** के प्रदाय हेतु निम्नानुसार प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित किये गये हैं:-


SNO	NAME OF SUPPLIER	NAME OF MANUFACTURER
1	M/s ADITYA TRADING 33-B, SUVIDHI NAGAR, CHOOTA BANGARDA ROAD, INDORE Mobile- 9425312762, 7999048481, 9425312762 Email- adityatradingindore@gmail.com	M/S. NILKAMAL LIMITED NILKAMAL HOUSE, 77/88, ROAD NO. 13/14, M.I.D.C., ANDEHRI (EAST.), MUMBAI- 400 093 022- 4235 8888

**WHEEL WATER DRUM (CYLENDRICAL TYPE) (NON ISI MARK)**- का तकनीकी विवरण अनुलग्नक 1 पर संलग्न है। निगम की क्रय एवं विक्रय दरों का विवरण अनुलग्नक 2 पर संलग्न है।


अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से सामग्रियों के प्रदाय हेतु है। किसी अन्य संस्था/विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे क्रय/ विक्रय करने की स्थिति में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसके लिये निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। इन दरों के प्रसारण के साथ समान सामग्री हेतु निगम द्वारा पूर्व में प्रसारित दरें स्वमैव निरस्त मान्य होंगी।

2. सामग्रियों के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी-

1. संलग्न दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।
2. जिला प्रबंधकों का दायित्व है कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विभाग/अन्य संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में व्यवसाय प्राप्त करें।
3. जिला प्रबंधक, विभाग से निर्माता/प्रदायक की नाम की अनुशंसा के साथ प्राप्त सामग्री की मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रोषित करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुये, संबंधित निर्माता/प्रदायक कम्पनी को आदेश जारी करेंगे। प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय की शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी, निगम के GSTN no आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। यदि उपर्युक्त मांग पत्र में प्रदायक की अनुशंसा स्पष्ट न हो तो मांगकर्ता (संबंधित अधिकारी) को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त की जावे। बिना अनुशंसा के स्वयं निर्माता/प्रदायक का चयन न किया जावे।



4. देयक पर निगम का GST No 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है । देयक में CGST एवं SGST की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा । प्रदायक उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे । किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है, तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक के देयक में से की जाएगी ।
5. प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समय सीमा का उल्लेख किया जावे । वर्णित समय-सीमा में प्रदायक आदेशित सामग्री को सही हालत में प्रदाय करेंगे । विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग के अधिकारी की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रदायगी स्वीकार की जा सकेगी ।
6. आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय, प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक सत्यापन निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा तदोपरान्त संलग्न प्रारूप में पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे ।
7. आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरान्त प्रदायक तीन प्रतियों में देयक भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत करेंगे ।
8. भुगतान—  
अ— प्रदायक के देयक का भुगतान, "भुगतान पश्चात् भुगतान" के आधार पर निम्नानुसार किया जा सकेगा—  
a) As far as possible, 80% payment of supplier's bill will be made within 30 days on receipt of payment by the corporation against the supplies along with proper receipt of items of the ordered quantity at the destination in good condition duly issued by the consignee and countersigned by the District Manager of the corporation for the consignee's district.  
b) Balance 20% payment of the bill be paid after receipt of satisfactory performance report from the user department.  
**Note:** Corporation will release the balance 20 percent payment after 120 days (from the date of supply) considering there is no complaint by the consignee against the quality of the supplied material after getting the certificate from the District Manager of the Corporation.
9. निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही प्रदाय को मान्य किया जावेगा ।
10. गुणवत्ता:—  
अ— निगम के माध्यम से जो सामग्री संबंधित विभागों/कृषकों को प्रदाय की जावेगी, तो उस सामग्री की गुणवत्ता के लिये, संबंधित निर्माता एवं प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे । यदि प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित जिला प्रबंधक का दायित्व है कि वे तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्रदायक को देते हुये आवश्यकतानुसार सामग्री बदल कर शिकायत का निराकरण करावें एवं की गई कार्यवाही से अपने क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावें ।  
ब. यदि निर्धारित समय सीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता द्वारा नहीं किया जाता है, तो संबंधित कंसाईमेंट में से विधिवत सेम्पल ड्रॉ कर सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिये CIPET Bhopal को भिजवाया जावे, एवं क्षेत्रीय कार्यालय/निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, जिससे संबंधित के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा सके ।



निरंतर.....3

11. प्रदायक द्वारा निगम के साथ निष्पादित अनुबंध में यह शर्त निहित है कि अनुबंध की अवधि में प्रदायक /निर्माता की दरें न्यूनतम दरें हैं और यह दरें निर्माता कम्पनी के प्रदायक या उसके अधिकृत विक्रेता द्वारा मध्य प्रदेश में समान सामग्री की विक्रय दरों के बराबर हैं। दरों में विसंगति होने की दशा में, निगम कृषक/विभाग को होने वाले नुकसान की भरपाई प्रदायक कम्पनी से करने हेतु अधिकृत है। यदि इस आशय की जानकारी जिले में प्राप्त होती है, तो उसकी सूचना डाक्यूमेन्टरी प्रूफ के साथ मुख्यालय को प्रेषित की जावे, जिससे अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदायक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

3. इस परिपत्र के माध्यम से जारी विभिन्न प्रदायकों की दरें वर्ष 2019-20 एवं आगे की अवधि के लिये आगामी आदेश तक लागू रहेंगी। दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन किये जाने की दशा में मुख्यालय द्वारा तदानुसार सूचित किया जावेगा।

4. निगम द्वारा जारी किये गये रेट कांटेक्ट ऑफर की प्रति निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध है। पूर्ण विवरण हेतु इसकी एक प्रति प्रिंट कर रिकार्ड में रखें।

संलग्न- अनुलग्नक 1 (1 पृष्ठ), अनुलग्नक 2 (1पृष्ठ) एवं अनुलग्नक 3 संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रारूप (1 पृष्ठ)

*D. P. Singh*

उप महाप्रबंधक (उद्यान)  
13/12/19

4829  
16-12-19

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक/ सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. उप संचालक/ सहायक संचालक कृषि (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
8. मेसर्स ..... की ओर सूचनार्थ। प्रदाय देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरुद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आरसीओ के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता अनुसार है। प्रदायक द्वारा सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उक्तानुसार समस्त शर्तों से सहमत है। उक्त लायसेंस की वैधता के संबंध में कृपया सुनिश्चित करें की अनुबंध अवधि में लायसेंस वैध रहें।


*D. P. Singh*

उप महाप्रबंधक (उद्यान)



**WHEEL WATER DRUM (CYLINDRICAL TYPE) (NON ISI MARK)  
TECHNICAL SPECIFICATION**

- A- **TECHNICAL SPECIFICATIONS-** Wheel Water Drum Should Cylindrical Tank with Metal Pipe Handle and O ring of Suitable Size and Plug (an Indicative Design is shown below)




Type Cylindrical

Capacity: 30 Ltrs to 50 Ltrs or as per available Sizes with manufacturer.  
Other Specification should be as mentioned below

Sno	Part	Material	Size	Qty
1	Tank	Virgin Quality U V Stabilized HDPE Granules	30 Ltrs to 50 Ltrs or as per available Sizes with manufacturer	1
2	Cap	Virgin Quality U V Stabilized HDPE Granules	Suitable Size	2 (1+1)
3	Plug	Nylon	Suitable Size	2 (1+1)
4	Handle	MS Pipe	Suitable Size so that wheel drum can be easily pulled	1
5	O Ring	Nitrile Rubber or any polymer suitable of gaskets	Suitable Size	1
6	Insert	Nylon		1

- B- **Marking** Each unit of shall be marked legibly with the following information:
- Manufacturer's name and i.e recognized trade-mark, if any;
  - Net Capacity in Liters
  - Mass of Unit
  - Lot/ Batch no and year of manufacturing
  - Any other specific information if required by Department/ Corporation





अनुलग्नक 2  
THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED:  
PANCHANAN, 3 rd FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL  
PHONE - 0755-2556857, 2761392 FAX 0755-2557305 EMAIL mpagrohbpl@gmail.com

MP AGRO'S PURCHASE AND SELLING RATES DETAIL  
FOR YEAR 2019-20 AND ONWARDS

**WHEEL WATER DRUM (CYLENDRICAL TYPE) (NON ISI MARK)**

Name of Manufacturer	:	M/S. NILKAMAL LIMITED NILKAMAL HOUSE, 77/88, ROAD NO. 13/14, M.I.D.C., ANDEHRI (EAST.), MUMBAI- 400 093 022- 4235 8888
Name of Supplier	:	M/s ADITYA TRADING 33-B, SUVIDHI NAGAR, CHOOTA BANGARDA ROAD, INDORE 9425312762, 7999048481
Contact Person	:	SHRI ATUL MEHTA
Contact No	:	9425312762
Email	:	adityatradingindore@gmail.com

<b>Supplier Billing From Madhya Pradesh</b>	
Particulars	Rate Rs Per Unit Per For Destination (Block Head qtr) (Capacity 40 Ltr)
Basic Price	3277.00
CGST @ 9%	294.93
SGST@ 9%	294.93
<b>Corporation Purchase Price</b>	<b>3866.86</b>

<b>Corporation Selling Price</b>	
Particulars	Rate Rs Per Unit Per For Destination (Block Head qtr) (Capacity 40 Ltr)
Basic Price	3277.00
Margin 5%	163.85
Subtotal	3440.85
CGST @ 9%	309.68
SGST@ 9%	309.68
<b>Corporation Sealing price</b>	<b>4060.21</b>

उप महाप्रबंधक (उद्यान)  
13/12/19  
P. State  
BHO  
CHOPAL



THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED:  
PANCHANAN, 3 rd FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL  
PHONE - 0755-2556857, 2761392 FAX 0755-2557305 EMAIL mpagrohbpl@gmail.com

पावती/ संतुष्टि प्रमाण पत्र

क्षेत्रीय प्रबंधक..... के आदेश कं..... दिनांक ..... के क्रम में  
मेसर्स ..... द्वारा निर्माता  
मेसर्स ..... द्वारा उत्पादित  
सामग्री जिसका विवरण निम्नानुसार है का प्रदाय निगम के माध्यम से.....  
विभाग को किया गया है।

क्रं.	सामग्री का नाम	Specification/ Model	संख्या / मात्रा	रिमार्क

उक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा संबंधित प्राप्त कर्ता विभाग के समक्ष अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। सामग्री सही हालत में प्राप्त हुई है एवं सामग्री निगम मुख्यालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्र / RCO में निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है। प्राप्त कर्ता विभाग प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट है।

हस्ताक्षर (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
प्राप्तकर्ता विभाग के)  
नाम एवं पदनाम  
प्राप्तकर्ता विभाग की सील  
सहित

हस्ताक्षर  
एपीएग्रो जिला प्रबंधक  
नाम  
जिला प्रबंधक सील सहित

हस्ताक्षर  
प्रदायकर्ता  
नाम एवं पदनाम  
प्रदायकर्ता की सील सहित